संचिका संख्या : 5089/4/6/2020

दिनांक : .17.05.2022

प्रस्तुत आवेदन एक गैर सरकारी संगठन **Campaign Against Torture** के द्वारा एक दलित बालक के मृत्यु भूख के कारण होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष समर्पित किया गया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा उपरोक्त आवेदन को धारा 13(6) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग को जांच एवं निष्पादन हेतु स्थानान्तरण किये जाने के उपरान्त यह आवेदन राज्य आयोग को प्राप्त है।

उपरोक्त आवेदन की विषय वस्तु का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी भोजपुर का दिनांक 15.01. 2020 के आदेश के द्वारा जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

जिला अधिकारी भोजपुर के पत्र के साथ अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त आरा नगर निगम का एक संयुक्त जांच प्रतिवेदन पृष्ठ (7–8/प0) उपलब्ध कराया गया है।

जांच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया कि मृतक का नाम राकेश कुमार उर्फ राहुल था जो जो 3–4 दिनों से ज्वार एवं दस्त से पीड़ित था उसका ईलाज सरकारी अस्पताल में कराया गया था उसकी चिकित्सा चल रही थी कि इसी क्रम में दिनांक 28.03.2020 को उसकी हालत अचानक खराब हुई एवं उसकी मृत्यु हो गई। यह भी प्रतिवेदित किया गया था कि आरा नगर निगम के महापौर स्वयं उपस्थित थे उन्होंने भी मृतक बालक के मृत्यु दस्त एवं ज्वार से होने की बात कही है। प्रतिवेदन में चूंकि यह जिक्र था कि ईलाज के दौरान मृतक बालक के मृत्यु हुई है अतः दिनांक 23.03.2021 के आदेश के द्वारा जिला अधिकारी भोजपुर का एक वरीय पदाधिकारी के साथ मृतक बालक के ईलाज से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने और मृतक बालक के पिता को अगली तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित कराने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त आदेश के आलोक में दिनांक 12.08.2021 को श्री पुरूषोतम कुमार नगर प्रबंधक आरा नगर निगम उपस्थित हुए और उनके द्वारा यह बताया गया कि ईलाज के संबंध में कोई भी कागजात अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, सिवाय एक इंट्री के। यह भी बताया गया कि ईलाज के पुर्जा मृतक बालक के परिवार वालों को दिया गया था। जिसे उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया है। श्री पुरोषतम कुमार के द्वारा यह भी बताया गया कि मृतक बालक के पिता आयोग के समक्ष उपस्थित होने को तैयार नहीं है।

उपरोक्त प्रतिवेदन से असंतुष्ट होते हुए तथा मामले के गंभीरता को समझते हुए सचिव एवं निबंधक राज्य आयोग के एक संयुक्त समिति बनाते हुए राज्य आयोग के संयुक्त समिति को घटना स्थल पर जाकर मृतक बालक के अभिभावक एवं अन्य का बयान लेते हुए, साथ ही अस्पताल के संबंधित संचिका के छानबीन कर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन संचिका (पेज 47–52/प0) पर उपलब्ध है। इस बीच में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोजपुर का एक पत्र माकेटिंग अफसर आरा के प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात के साथ सचिव मानवाधिकार आयोग को दिनांक 27.09.2021 को उपलब्ध कराया गया ।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि संयुक्त समिति ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोजपुर एवं असैनिक शल्य चिकित्सक को जांच में सहयोग करने हेतु दिनांक 21.09.2021 को आरा में उनके समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया था।

असैनिक शल्य चिकित्सक के जगह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भोजपुर डॉ0 के0एन0सिन्हा उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया कि असैनिक शल्य चिकित्सक भोजपुर प्रशिक्षण हेतु पटना गये है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के जगह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, श्री रजनीकांत ओझा, उपस्थित हुए उनके द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी निर्वाचन कार्य में व्यस्त है।

जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि डॉ0 के0एन0सिन्हा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा 25 मार्च 2020 को मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल को सदर अस्पताल में भर्ती होने की बात बताई और कहा इमरजेंसी रजिस्टर में उसका नाम है। उसे उल्टी, पैखाना एवं बुखार था उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष था। इमरजेंसी में भर्ती कर पानी, इंजेक्शन और दवा चलायी गयी। डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ। उल्टी और बुखार कंट्रोल हो गया था। डिहाइड्रेशन से उसकी मृत्यु हो गयी समिति के द्वारा उनसे पूछा गया कि बिना ठीक हुए रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया था तो उनके द्वारा काई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। बल्कि उन्होंने कागजातों को देखकर जवाब देने हेतु 2 घंटों का समय की मांग की।

जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि डॉ0 के0एन0सिंहा 3 बजे अपरहाण में जांच समिति के पास स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा बताया गया कि उस वक्त डॉ0 आशुतोष कुमार ड्युटी पर थे। जो स्वैच्छिक सेवा निवृत हो चुके है। यह भी बताया गया कि इमरजेंसी एवं **OPD Registration** में मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल का नाम अंकित नहीं है। खोजने पर अस्पताल का **Registration Register** नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 25.03.2020 तथा एवं दिनांक 07.04.2020 का **Registration Register** नहीं मिल रहा है और मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल का **Portal** पर भी उक्त तिथि को **Registration** नहीं है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के द्वारा यह बताया गया कि मृतक के परिवार पी0एच0एच के तहत लाभान्वित है और वर्ष 2020–21 में अनुमान्य अनाज मिलता रहा है। प्रति माह, 20 किलोग्राम अनाज का वितरण (12 किलोग्राम चावन तीन रुपये प्रति किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ) एवं 20 किलोग्रम निःशुल्क अनाज मिल रहा है। मई 2020 में 40 किलोग्राम अनाज मिला है। अनाज का वितरण बायोमीट्रिक मशीन के माध्यम से किया जाता है अपने कथन के समर्थन में अप्रैल और मई 2020 का वितरण पंजी भी उपलब्ध कराया गया है। जिसमें मृतक के पिता का नाम और अंगूठा निशान अंकित है। परन्तु मार्च 2020 या उसके पूर्व का रजिस्टर उपस्थापित नहीं किया गया कहा गया, कि पंजी नहीं मिल रहा है बाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक 610 दिनांक 27.09.2021 द्वारा सचिव को एक पत्र के द्वरा यह प्रतिवेदित किया गया कि मृतक के पिता को फरवरी 2020 और मार्च 2020 के खाद्यान्न का वितरण

किया गया था, उन्होंने जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री निवास प्रसाद वार्ड नं0 40 से अनाज प्राप्त किया था। वितरण पंजी की छाया प्रति भी उपलब्ध कराई गई है।

संयुक्त जांच समिति ने सभी तथ्यों के अवलोकन के उपरांत तथा आरोप के संबंध में उपस्थित हुए गवाहों का बयान के अवलोकन कर अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि :—

श्री रजनीकांत ओझा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आरा के साक्ष्य एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक संख्या 610 दिनांक 27.09.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दुर्गा मुसहर ने फरवरी एवं मार्च 2020 का खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली से प्राप्त किया था जो कि रजिस्टर की छायाप्रति देखने से स्पष्ट होता है तथा रजिस्टर पर दुर्गा मुसहर के अंगुठे के निशान है। इस तरह से दुर्गा मुसहर का यह कहना है कि सरकारी योजना का अनाज घटना के समय से 3—4 महीने पहले से नहीं मिलता था, में भिन्नता है।

यहां पर महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि राकेश कुमार के दो अन्य छोटे भाई है, जिनकी उम्र वर्तमान समय में 9 वर्ष और 4 वर्ष है, जो कि घटना के समय लगभग 8 वर्ष और 3 वर्ष के होगे, और घर में अनाज नहीं होता तो ये लोग भी भूख से बीमार पड़ते और इनको भी ईलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया होता, क्योंकि यह असंगत है कि माता—पिता एक बच्चे को भोजन नहीं देते होंगे और दूसरे दोनों बच्चों को भोजन देते होगे।

जहां तक ईलाज का प्रश्न है उस संबंध में जांच समिति के द्वारा अपने निष्कर्ष में निम्लखित बातें कही हैः—

"अस्पताल द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज जांच समिति के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दिनांक 28.03.2020 को राकेश कुमार उर्फ राहुल की 3—4 दिनों के ईलाज के पश्चात मृत्यु हो गयी थी। जांच प्रतिवेदन किस आधार पर प्रस्तुत किया गया यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि डाक्टर के0एन0सिन्हा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जांच समिति के समक्ष कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहे है, जिससे यह स्पष्ट हो कि मृतक का 3—4 दिनों तक अस्पताल में ईलाज कराया गया। मृतक के पिता दुर्गा मुसहर और मृतक की माता सोनामती देवी ने अपने बयान में यह कहा कि राकेश कुमार उर्फ राहुल को दस्त और बुखार हुआ था और दिनांक 25.03.2020 को सदर अस्पताल में ईलाज हेतु ले जाया गया किन्तु न तो अस्पताल में डाक्टर ने उसको भर्ती किया न तो जांच किया और न तो दवा दी गयी और बाहर से दवा लेकर मरीज को घर लेकर आये और घर आने के बाद लड़के की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार दुर्गा मुसहर का यह कथन कि अस्पताल में उसके बेटे का ईलाज नहीं हुआ, सत्य प्रतीतहोता है। क्योंकि अस्पताल द्वारा मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल के ईलाज के संबंध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति में जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल की मृत्यु ईलाज के अभाव में और सदर अस्पताल, आरा द्वारा ईलाज न किए जाने के कारण हुई है। अगर सदर अस्पताल, आरा में राकेश कुमार उर्फ राहुल का समूचित ईलाज हुआ होता तो उसकी जान बच सकती थी।

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि राकेश कुमार उर्फ राहुल की मृत्यु अनाज के अभाव में भूख से नहीं हुई थी बल्कि डाक्टर की लापरवाही एवम् डाक्टर द्वारा समय पर ईलाज नहीं किए जाने के कारण हुई है।

जाँच प्रतिवेदन एवम् अन्य कागजातों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक आवेदक का आरोप है कि मृतक बाल के मृत्यु कोरोना लॉकडाउन में भूख के कारण हुई है। उन्हें अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में संयुक्त जांच समिति ने इस कथन को विश्वसनीय नहीं माना है। चुंकि मृतक के घर में उनके दो और छोटे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु भूख से नहीं हुई। मृतक के पिता के द्वारा यह भी कहा गया कि अस्पताल में ईलाज नहीं होने के वजह से दावा बाहर से लेकर वे अपने बच्चों को घर ले आये। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि उन्हें उस समय पैसा भी उपलब्ध था। उपरोक्त तथ्यों तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त कागजातों के आधार पर आवेदक के द्वारा लगाये गये भूख से मृत्यु होने के आरोप की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं है।

जहां तक प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों का संबंध है उन कागजातों को विश्वसनीयता पर अभी  अन्तिम मंतव्य नहीं देते कहते हुए राज्य आयोग संयुक्त जांच समिति के निष्कर्ष से सहमत है कि अगर मृतक बालक के मृत्यु भूख से और अनाज नहीं मिलने के कारण होती तो उस मृतक को छोटे भाई और बहन भी प्रभावित होते।

पूर्व में जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा नगर आयुक्त संयुक्त जांच समिति को ईलाज के संबंध में एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया था तथा यह प्रतिवेदन किया गया था कि मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल 3—4 दिनों से ज्वार एवं दस्त से पीड़ित था। जिनका अचानक दिनांक 28.03.2020 को हालत खराब हो गई  और उसकी मृत्यु हो गई।

नगर निगम के द्वारा, जिला पदाधिकारी से इस संबंध में ईलाज के कागजात उपलब्ध कराये जाने पर नगर प्रबंधक उपस्थित होकर ऐसे किसी भी कागजात अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। संयुक्त जांच समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर भी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने भी मृतक राकेश कुमार उर्फ राहुल के ईलाज से संबंधित किसी प्रकार का कागजात अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहने की बात कही है, और कही समय देने के बावजूद उनके द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया । उपरोक्त विश्लेषण से मृतक के पिता का कथन तथा मृतक बालक राकेश कुमार उर्फ राहुल के आरा में ईलाज नहीं किये जाने के कथन की पुष्टि होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधर पर राज्य आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृतक बालक के मृत्यु भूख एवं अनाज  के सामान की कारण नहीं हुई है बल्कि उचित ईलाज के अभाव में हुई है।

संविधान ने अपने नागरिकों के लिए जीने का मौलिक अधिकार दिया है और उसको सुनिश्चित कराना प्रशासन का काम है। परन्तु प्रस्तुत वाद में यह स्पष्ट है कि प्रशासन के द्वारा ईलाज में लापरवाही बरती गई जिसके कारण मृतक बालक राकेश कुमार की मृत्यु  से इंकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य आयोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंचती है कि जिला पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा संयुक्त जांच समिति को अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त आरा नगर निगम के द्वारा एक भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके संबंध में कोई भी कागजात अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया।

जिला पदाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों का उपरोक्त रवैया से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग करने के बजाय, अपने को बचाने हेतु भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाँच को प्रभावित करने की कोशिश की गयी।

अतः मृतक बालक के मृत्यु के कारण मृतक बालक के पिता एवं परिवार आवश्यक क्षतिपूर्ति के हकदार है। अतः निबंधक राज्य आयोग करे मुख्य सचिव, बिहार सरकार को एक कारण पृच्छा नोटिस भेजने का निर्देश देते हुए जो कि क्यों नहीं प्रशासन को इस लापरवाही के लिए मृतक के निकट सम्बन्धी को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाय। कारण पृच्छा प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

साथ ही ईलाज में लापरवाही के लिए जिला पदाधिकारी एवम् असैनिक शल्य चिकित्सक भोजपुर के संबंधित व्यक्तियों को दोषी चिह्नित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने की भी अनुशंसा की जाती है। राज्य आयोग के द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुर्नावृत्ति न होने पाये और सभी व्यक्ति को समय पर उचित ईलाज उपलब्ध कराया जाय। समय पर अनाज का वितरण सुनिश्चित किये जाने की भी अनुशंसा की जाती है।

निबंधक, राज्य आयोग आदेश कि प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, जिला पदाधिकारी भोजपुर, असैनिक शल्य चिकित्सक भोजपुर शीध्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 10.08.2022 कारण पृच्छा एवम् अग्रेतर कारवाई हेतु।

**(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)**
**Chairperson**